

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 4(13) ग्रावि/नरेगा/ह.रा./प्रोग्रेस/09-10

जयपुर, दिनांक:-

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

6 MAR 2011

विषय: हरित राजस्थान कार्यक्रम संबंधी सूचना अद्यतन करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा हरित राजस्थान कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट संबंधित लगातार समीक्षा की जाती है एवं विधानसभा में भी उक्त विषय के संबन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं।

अतः राज्य स्तर पर उक्त संबन्ध में सूचना संकलन हेतु तैयार प्रपत्र (संलग्न) में सूचना संकलित करने का निर्णय किया गया है। कृपया उक्त सूचना प्रपत्र में अद्यतन कर विभाग को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक नियमित रूप से pdre_rdd@yahoo.com पर ईमेल द्वारा उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

जिला स्तर पर इस कार्य को सम्पादित करने हेतु प्रशिक्षण समन्वयक प्रभारी होंगे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रामनिवास मेहता)

परियोजना निदेशक एवं उपसचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि-

- 1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 2 प्रशिक्षण समन्वयक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) समस्त को पालनार्थ।

परियोजना निदेशक एवं उपसचिव, ईजीएस

हरित राजस्थान कार्यक्रम की मासिक प्रगति रिपोर्ट

जिले का नाम _____

माह _____

वर्ष _____

| क्र.सं. | विभाग / संस्था का नाम | माह तक नवीकृत कार्यो का सं. (कमरे लागू) | माह तक स्वीकृत कार्यो की लागत (कमरे लागू) | माह तक प्राप्त कर लगाये गये पीछे का विवरण | | | | कुल लगाये गये पीछे की संख्या | माह तक किये गये पीछेपछे एवं संरक्षण में हुआ व्यय | | | | माह तक कुल व्यय (क. लागू) | माह के अन्य तक कुल लीकित पीछे की संख्या | माह तक किनारे लगाये गये पीछे (कि. मी. म) | माह तक पीछे (डिक्टोर म) | विशेष विवरण | |
|---------|-------------------------|---|---|---|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|--|----------------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------|-----------|
| | | | | वन विभाग | राशि रु. लाखों में | प्राईवेट नर्सरी | राशि रु. लाखों में | | पीछे की संख्या | पीछे को लागू कर व्यय | पीछे के संरक्षण हेतु डी मार्ट / कंसिग आदि पर व्यय | पीछे के रख रखाव / पानी आदि पर व्यय | | | | | | अन्य व्यय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | ग्राम पंचायत | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | वन विभाग | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | सार्वजनिक निर्माण विभाग | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | स्वयंसेवी संस्थाएँ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | अन्य कार्यकारी विभाग | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | योग | | | | | | | | | | | | | | | | | |

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक